न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 14 / 2019(आरसीएमएस संख्याः–2019 / 00029)

1. भैरू पुत्र श्री गोपी, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. सुखपाल पुत्र श्री गोपी, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. गोपाल पुत्र श्री सूवा, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. रामप्रसाद पुत्र श्री सूरज पौत्र सूवा, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
5. रामनिवास पुत्र श्री सूरज पौत्र सूवा, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
6. मांगी देवी पत्नी श्री सूरज, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
7. रामेश्वर पुत्र श्री सूवा, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
8. ताराचन्द पुत्र श्री सूवा, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
9. कालूराम पुत्र श्री सूवा, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
10. लालचंद पुत्र श्री सूवा, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
11. हनुमान पुत्र श्री सूवा, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
12. हरीनारायण पुत्र श्री सूवा, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
13. शंकर पुत्र श्री सत्यनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
14. बाबू पुत्र श्री सत्यनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
15. जगदीशनारायण पुत्र श्री कल्याण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील– चाकसू, जिला–जयपुर।
16. बद्री पुत्र श्री कल्याण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
17. रामकिशोर पुत्र श्री कल्याण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
18. लल्लू पुत्र श्री कल्याण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
19. रामकिशन उर्फ बाबूलाल पुत्र श्री कजोड, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
20. गणेश पुत्र श्री कजोड, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
21. भूरी देवी पत्नी श्री जयनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
22. रामकरण पुत्र श्री जयनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

23. रामवतार पुत्र श्री जयनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
24. श्रवणलाल पुत्र श्री जयनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
25. श्योजीराम पुत्र श्री जयनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम डूंसरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व आज्ञा तहसीलदार, चाकसू नामान्तरकरण संख्या 415 दिनांक 15.02.2019 ग्राम–बाढ़बागपुरा)

उपस्थितः–
1. श्री योगेन्द्र सिंह राजावत, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक : 24.12.2019

ग्राम बाढ़बागपुरा, तहसील–चाकसू की आराजी के संबंध में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू के मु0 नम्बर 303 / 2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2018 की पालना में पटवारी हल्का बाढ़बागपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या–415 भरकर पेश किया गया है जिसे तहसीलदार, चाकसू ने दिनांक 15.02.2019 को स्वीकार किया है। जिससे व्यथीत होकर यह अपील पेश हुई है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट जारी किया गया व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह राजावत का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 15.02.2019 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत तथा अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई का नोटिस / अवसर दिये पारित किये जाने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 15.02.2019 तहसीलदार, चाकसू द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई साक्ष्य का नोटिस दिये एक–तरफा मनमाने तौर पर पारित कर अपीलान्ट्स की खातेदारी आराजी का रकबा कम किया है जिसका कि तहसीलदार, चाकसू को कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार, चाकसू द्वारा बिना किसी अधिकार के व गलत तथ्यों के आधार पर दिनांक 06.09.2017 को उप खण्ड अधिकारी, चाकसू के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम–बाढ़बागपुरा में आमजन हेतु एवं कृषकों के आवागमन के उपयोग में आ रहे आम रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित है। इन प्रस्तावों में तहसीलदार ने न तो भूमि के उन खसरा नम्बरान को दर्ज किया जिसमें वे रास्ता होना दर्शा रहे थे और न ही खसरा नम्बर का वह रकबा दर्ज किया जिस रकबे को वे बतौर आम रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाह रहे थे। तहसीलदार, चाकसू के प्रार्थना–पत्र पर उप खण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा मनमाने तौर पर दिनांक 29.05.2018 को एक–तरफा निर्णय पारित किया है

जिसकी अपील माननीय सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील संख्या 222 / 2018 दर्ज होकर व स्वीकार होकर आज्ञा दिनांक 23.09.2019 द्वारा उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा दिनांक 29.05.2018 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में जबकि उप खण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा पारित निर्णय अपास्त हो जाने से उसकी पालना में पारित नामान्तरकरण भी अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 15.02.2019 नामान्तरकरण संख्या–415 ग्राम–बाढ़बागपुरा निरस्त फरमायी जावे तथा पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल करने हेतु तहसीलदार, चाकसू को आदेश प्रदान किये जावे तथा संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में नामान्तरकरण पर पुनः निर्णय पारित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

विद्वान पेरोकार सरकार का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 15.02.2019 नामान्तरकरण संख्या–415 ग्राम–बाढ़बागपुरा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए पारित की गई है। अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 15.02.2019 नामान्तरकरण संख्या–415 ग्राम–बाढ़बागपुरा सक्षम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 29.05.2018 की अनुपालना में पारित की गई है। जिस समय नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है तत्समय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की डिक्री दिनांक 29.05.2018 प्रभावी थी और इस डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चाकसू बाध्य थे। नामान्तरकण स्वीकार किये जाने में विधि के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। नियमानुसार बाद जांच नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। यदि उप खण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 29.05.2018 को अपीलेट न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है और प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है तो नामान्तरकरण संख्या–415 के लिए भी अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू में ही शक्तियां निहित है। अतः अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि नामान्तरकरण संख्या–415 ग्राम–बाढ़बागपुरा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू के मुकदमा नम्बर 303 / 2017 निर्णय दिनांक 29.05.2018 की अनुपालना में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण संख्या–415 जो स्वीकार किया गया है वह विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत अधिकारों का उपयोग करते हुए स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि का समावेश नहीं पाते है अलबत्ता यदि उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा व डिक्री दिनांक 29.05.2018 को अपीलेट न्यायालय द्वारा निरस्त कर प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया है तो विचारण प्रकरण अधीन नामान्तरकरण संख्या–415 के संबंध में भी सक्षम ट्रायल कोर्ट द्वारा ही विधिक निर्णय लिया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है। यदि नामान्तरकरण संख्या–415 के संबंध में कोई दादरसी हो तो सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर